Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 04/2024

श्री सुदीप आर पसबोला, — परिवादी
निवासी– लेन नं0 03/197, मोहित नगर,
जिला–देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक : 15.06.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या SD76131046349 के विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनकी शिकायत उपरोक्त कनेक्शन नंबर के संदर्भ में है। पहले हमें प्रति माह औसतन रू0 2000.00– बिजली आपूर्ति के बिल प्राप्त होते थे। हालाँकि, पिछले तीन महीनों से हमें रू0 8000/–150000/– तक के बिल प्राप्त हुए हैं। चूंकि हम वर्तमान में देहरादून में नहीं रह रहे हैं, इसलिए यह उच्च बिल स्पष्ट रूप से या तो गलत है, दोषपूर्ण मीटर के कारण या किसी के द्वारा बिजली आपूर्ति के अवैध निकासी के कारण। हमने विरोध स्वरूप दोनों बिलों का भुगतान कर दिया है.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
गढ़वाल
गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.

उसके अनुसरण में, हमने अपने ईमेल दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से आपके विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। जवाब में, हमारे घर में स्थापित मीटर को आपके कार्यालय द्वारा निरीक्षण प्रयोजनों के लिए सील कर दिया गया है। इसके साथ सीलिंग रसीद की प्रतियां संलग्न हैं।

इस बीच, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें और हमारे मीटर की स्थिति के बारे में हमें अपडेट करें।

कृपया इस मामले पर जल्द से जल्द गौर करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी के अपनी आख्या पत्रांक संख्या 78 दिनांकित 25/04/2024 के द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है कि:–

1. उपभोक्ता द्वारा दि० 17.02.2024 के बिल का भुगतान नहीं किया गया था। उक्त बिल के अनुसार विच्छेदन तिथि 18.03.2024 थी, जिसके सम्बन्ध में उपभोक्ता का बिल एवं लेजर की प्रति संलग्न है। अतः उपभोक्ता का संयोजन फरवरी का बिल जमा नहीं होने के कारण काटा गया। इस प्रकार विच्छेदन तिथि की पश्चात ही कनैक्शन काटा गया है।
2. उपभोक्ता के संयोजन पर चौक मीटर स्थापित हुआ एवं मीटर विभाग द्वारा उपभोक्ता के चौक मीटर को मेन मीटर बनाकर दि० 10.04.2024 को मीटर सीलिंग अपडेट की गई। इस सम्बन्ध में बिल संशोधन सी०सी०बी०आर० के माध्यम से कर दिया गया है जिसकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न की जा रही है।

मंच द्वारा सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या की प्रति परिवादी को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से दिनांक 27.04.2024 (3.54) प्रेषित किया गयी थी कि यदि परिवादी उक्त के संबंध में टिप्पणी/आपत्ति करना चाहते है तो अगली नियत तिथि तक मंच में प्रस्तुत कर सकते है, जिसके क्रम में परिवादी द्वारा दिनांक 03.05.2024 को ई–मेल के माध्यम सें मंच से निम्न् निवदेन किया गया:–

1. मेरी Additional Security संशोधित करवाई जाए।
2. मेरी विद्युत भार 8 kw से घटाकर 05 kw किया जाए।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के अनुपालन में अपनी अपनी आख्या पत्रांक संख्या 195 दिनांकित 20.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपभोक्ता का लोड 08 किलोवाट से 05 किलोवाट करने हेतु अनुमोदित कर दिया है। उपभोक्ता की additional security यू0पी0सी0एल0 साफ्टवेयर द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसके संबंध में कारपोरेशन मुख्यालय हैल्पडैक्स के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।
विपक्षी द्वारा आख्या के साथ संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत भार 08 किलोवाट से घटाकर 05 किलोवाट कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा अपनी लिखित संतुष्टि ई–मेल के माध्यम से व्यक्त कर की जा चुकी है। इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि ई–मेल के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15/06/24	15/06/24	15-06-2
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 07/2024

Shri. Ashutosh Nautiyal V/s **Executive Engineer, EDD, (Raipur) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 06.06.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 06.06.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई से पूर्व आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा कुछ माह पूर्व दो किलोवाट का एक बिजली का कनेक्शन लिया था, जिसका कनेक्शन नंबर 97:1122594417 खाता संख्या 42300881887 है। उन्हे उक्त संयोजन के सापेक्ष अभी तक जो भी बिल प्राप्त हुए है खपत से अधिक रीडिंग के है, क्योकि ज्यादा खपत एवं ज्यादा समय का बिल कम आ रहा है जबकि कम समय एवं कम खपत का बिल तुलनात्मक रूप से अत्याधिक है, ऐसा इसलिए सम्भव है कि शायद उनके विद्युत मापक की सही रीडिंग नहीं ली गई है, जिस कारण वर्तमामन बिल काफी अधिक टैरिफ स्लैब के अधार पर बन रहें है। अतः मंच से निवेदन है कि सही विद्युत मापक की रीडिंग के अनुसार विद्युत बिल संशोधित कराये जायें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 348 दिनांकित 22.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का दिनांक 07.10.2023 से 17.03.2024 के अन्तराल का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर दिनांक 04.06.2024 को ई–मेल के माध्यम से अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि ई–मेल के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

06/06/24	06/06/24	06-06-2024
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 08 / 2024

श्री राजकुमार
निवासी– 52 / 124, आर्य नगर,
ब्लाक–2, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 18/06/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — **न्यायिक सदस्य**
श्री सईद अहमद — **तकनीकी सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि संयोजन सं0 CD67376112043 प्रार्थी की दुकान 1/2/3, राजा रोड, देहरादून में लगा हुआ है, जो कि आपके विभाग में पंजीकृत है। प्रार्थी की दुकान करोना काल से आज तक बंद है, जिसका पुराना मीटर खराब होने के बाद नया मीटर लगाया गया है, तत्पश्चात् बंद दुकान पर नये मीटर में एक माह का बिल 1100 यूनिट आ गया है, जो कि प्रार्थी का मीनिमम चार्ज आता था तथा लिया जाता था।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 274, दिनांकित 15/05/2023 से मंच को अवगत कराया है कि पत्रांक 234 दिनांक 25.04.2024 को सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षण शाला (केन्द्रीय), 18, ई0सी0रोड, उपाकालि, देहरादून को एम0आर0आई रिर्पोट भिजवाने के लिए पत्र भेजा गया था, जिसमें सहाये अभियन्ता (मी0) के द्वारा अपने पत्रांक सं0 89 निांक 07.05.2024 में अवगत कराया कि संयोजन सं0 CD67376112043 में परिसर पर लगा वर्तमान मीटर सं0 10341699 लिंकवेल मेंक का है। वर्तमान में लिंकवेल के सफाटवेयर में खराबी होने के कारण उक्त मीटर की एम0आर0आई0 किया जाना संभव नहीं हो सका । जब तक सफाटवेयर सही नही हो पाता तब तक एम0आर0आई0 रिर्पोट उललब्ध नही कराई जा सकती है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उलब्ध शिकायती पत्र के अनुसार उनके औसत आधार पर लगभग न्यूनतम के बिल आये थे, परन्तु जबसे उनका पुराना मीटर खराब होने के बाद नया मीटर लगाया गया है, तत्पश्चात् बंद दुकान पर भी नये मीटर में एक माह का बिल 1100 यूनिट का आ रहा है, जिसपर परिवादी को आपत्ति है। मंच द्वारा पत्रावली की कंज्यूमर हिस्ट्र का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विवादित बिल चक्र से पूर्व न तो परिवादी को इतनी अधिक खपत रही न ही विवादित बिल चक्र के बाद। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा

परिवादी को दिनांक 06.09.2023 से दिनांक 13.12.2023 अर्थात्98 दिनों में 01 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 1126 यूनिट अर्थात् 11.48 यूनिट प्रतिदिन की खपत दर्शायी गयी है, उक्त अवधि की **LDHF** सूत्र के तकनीकी अनुसार भीपरिवादी की खपत 470.4 यूनिट होती है। अतः विपक्षी द्वारा 01 किलोवाट की स्वीकृत औसत पर 11.48 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गयी खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी की प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहे है, परिवादी को 12/2023 के बिल चक्र में विपक्षी द्वारा 1126 यूनिट खपत का बिल भेजा गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है। विपक्षी परिवादी की विवादित खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी का दिनांक 13/12/2023 को बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों का औसत खपत 09/2023, 08/2023 एवं 07/2023 क्रमशः (386+530+801/3 = 572.33) यूनिट अर्थात् 572 यूनिट के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 12/12/2023 को निरस्त करें एवं उक्त बिल को बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों का औसत खपत 09/2023, 08/2023

एवं 07/2023 क्रमशः (386+530+801/3 = 572.33) यूनिट अर्थात् 572 यूनिट के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नही होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में मीटर की खराबी के कारण पुनः इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सकें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18/06/24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

18/06/24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

18.06.2
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 14 / 2024

श्री सुरेश रावत — परिवादी
नि0–कारगी, पो0ओ0–बंजारावाला
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 07.06 .2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिववाद परिवादी द्वारा विद्युत पोल को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिव्रादी का कथन है कि मेरे परिसर के नजदीक स्थापित विद्युत पोल की वाइरिंग खुली होने तथा विद्युत पोल का पूरी तरह से मुडे होने तथा पोल के गिरने का भय है जो कि मेरे परिसर से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे द्वारा लिखित रूप से उपखण्ड अधिकारी को भी उक्त प्रकरण पर अवगत कराया गया था, परन्तु अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। अतः उक्त प्रकरण पर कार्यवही करने की कृपा करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail :- cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण खराब विद्युत पोल को परिवर्तित कराये जाने एवं विद्युत तारों को शिफ्ट कराये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त के क्रम में मंच द्वारा UERC (Guideling for Appointment of Members and procedure to be followed by the forum for redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, notification January 22, 2019 का संज्ञान लिया गया है, जिसमें Chapter 3 Jurisdiction and Proceedings of the Forum के 3.1 9(5) के द्वारा जारी किये गये विनियम का अवलोकन किया गया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मंच को Shifiting of electric lines/poles /equipments से संबन्धित वादों को सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद मंच के क्षेत्राधिकार में न होने के कारण में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

07/06/24 07/06/24 07/06/24

(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 16/2024

Shri. Suyash Agarwal V/s **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 20.06.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 20.06.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई से पूर्व आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उन्हे माह मई में असामान्य राशि रू0 54,829.00 का बिल प्राप्त हुआ है जो कि लगभग पूर्व विद्युत बिल राशि का दोगुना है, जबकि उनके बिजली के उपकरण सही ढंग से कार्य कर रहे है, और उनके द्वारा उपयोग के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया है। अतः मंच से निवेदन है कि सही विद्युत मापक की रीडिंग के अनुसार विद्युत बिल संशोधित कराये जायें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 239 दिनांकित 18.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता संयोजन संख्या SD0K000123945 प्रकरण के सापेक्ष वर्णित माह मई बीजक कुल दो भागों से मिलकर बना है। दिनांक 12.03.2024 से 11.04.2024 तक बिल रू0 20,013.00 एवं 11.04.2024 से 08.05.2024 तक रू0 32,309.00 + विलम्ब शुल्क जोडकर कुल रू0 52,322.00 देय है। अतः उपभोक्ता का तर्क है कि एक माह में ही अत्याधिक मूल्य का बिल है, सही प्रतीत नहीं होता है। महोदय यह भी संज्ञान में लाना है कि उक्त संयोजन पर पिछले एक वर्ष में 44760 यूनिट का उपभोग किया गया है, जिसका मासिक औसत 3730 यूनिट्स प्रतिमाह आता है, जबकि माह मई 2024 का बिल इससे कम केवल 2813 यूनिट्स की ही खपत पर ही बना है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर दिनांक 20.06.2024 (2.20दोहपर) को दूरभाष संख्या 9219525335 के माध्यम से अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर दिनांक 20.06.2024 (2.20दोहपर) को दूरभाष संख्या 9219525335 के माध्यम से अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/06/24 | 20/06/24 | 20.06.24
(दीपक फरस्वाण) | (सईद अहमद) | (त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य | तकनीकि सदस्य | न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 22/2024

Prof. Sushma Ghildiyal V/s **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 20.06.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 20.06.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई के दौरान आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि वह देहरादून से बाहर रहती है जिस कारण उनके फ्लैट में कोई नहीं रहता है, इसलिए ..टर में विद्युत खपत का सवाल ही नहीं उठता है। परिवादी द्वारा कॉल सेंटर में इस संबंध में अनेकों बार शिकायत दर्ज कराई गई जिसका की कोई भी समाधान नहीं किया गया। अतः मंच से निवेदन है कि हमारे विद्युत बिलों को हमारी वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित किया जाये ना कि RDF/IDF के अनुसार।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 247 दिनांकित 19.06.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता अपने परिसर पर निवासरत नहीं है, जिस कारण मीटर पर रीडिंग दिनांक 07.06.2024 को भी 0 यूनिट रिकार्ड की गयी है। अतः उपभोक्ता का दिनांक 13.04.2022 से दिनांक 07.06.2024 तक का विद्युत बिल फिक्स चार्ज के आधर पर संशोधित कर दिया गया है, जो कि –5607.00 है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर दिनांक 20.06.2024 को सुनवाई के दौरान अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई दिनांक 20.06.2024 को व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/06/24 20/06/24 20.06.24

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 35/2024

Dr. Atul Razdan **V/s** **Executive Engineer, EDD, (Central) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 27.06.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 27.06.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। परिवादी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई से पूर्व अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने संबंधी पत्र प्रस्तुत किया गया।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके परिसर पर वर्तमान में विद्युत मापक में 160 वोल्टेज से 190 वोल्टेज आ रही है, जिस कारण उनके विद्युत उपकरण कार्य नहीं कर पर रहे है। वर्तमान में देहरादून का तापमान 40 डिग्री है, जिस करण बिना ऐ0सी0 के रहना असंभव है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को हमारी समस्या के समाधन हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्चरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने क फलस्चरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/06/24 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

27/06/24 — (सईद अहमद) तकनीकि सदस्य

27.06.2024 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 147 / 2023

साहिल गुलाटी
निवासी– 1 / 33–34,
4th फ्लोर कुशाल अपार्टमेंट,
ओल्ड राजेन्द्र नगर,न्यू दिल्ली। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 28 .06.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding refund and compensation for delay in load reduction connection no. 700K000000870 The Complaint submits and praysas under:-

This letter is to bring to your attention an issue regarding the delay in implementing the load reduction for our connection (no. 700K000000870) and to seek appropriate compensation and refund. On 27th Febuary 2018 and again on 7th March 2018, we applied for a load reduction for our connection. The request was approved by the Executive Engineer , EDD

(North) Dehradun on 13th June 2018, reducing our load to 20KW. However, this change took 106 days to process,significantly more than the designated 30 days. Despite the approval letter dated 13th June 2018, our electricity bills continued to reflect the original load of 50 KW until 31st December 2019. This discrepancy resulted in us being overcharged for 672 days.

Despite multiple follow-ups via email and in –person visits, it took an extended period of 506 days from the date of load reduction approval for the change to be reflected in our bills. Given the proloned delay and the resultant financial burden, we kindly request UPCL to issue a refund for the overcharged amount and provide compensation for the delay and inconvenience caused. Attached are the relevant documents, including the approval letter and our correspondence regarding this matter.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 278, दिनांकित 27/01/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद मै0 होटल अशोका कॉन्टीनेन्टल, मसूरी, विद्युत संयोजन सं0 700K000000870 का विद्युत भार 50कि0वा0से 20कि0वा0 घटाये जाने पर देरी हेतु उपभोक्ता द्वारा मा0 शिकायत मंच में कम्पन्शेसन हेतु वाद दायर किया गया। उपभोक्ता का विद्युत संयोजन भार घटाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 957 दिनांक 03.07.2018 द्वारा विद्युत परीक्षण खण्ड को मीटर इन्डेन्ट प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

में सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता विद्युत परीक्षणशाला (न0), नगरीय देहरादून द्वारा दिनांक 14.08.2018 को संयोजन स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें आपेक्षित विद्युत भार 20.00 कि0वा0 हेतु 3 फेस होल करंट मीटर स्थापित कर विद्युत भार घटाया जाना था। सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड (उ0) के कार्यालय पत्रांक 41/न0पा0शा0दे0/दिनांक 14.08.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मसूरी को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता की संयोजन की outgoing cable 3*120mm2 की होने के कारण meter terminal पर cable 3*120mm2 को लगाया जाना संभव नहीं है (संलग्न–1) कम साइज की outgoing cable उपभोक्ता द्वारा उललब्ध करवायी जानी थी। उक्त दिनांक के पश्चात् भी सहायक अभियन्ता ए0 अवर अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड (न0) देहरादून द्वारा स्थल निरीक्षण करने पर यथास्थिति होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत भार घटाया जाना संभव नहीं हो पाया। महोदय यह भी संज्ञान में लाना है कि वर्तमान में कम्पनसेशन हेतु Hotel Ellbee Mussoorie Hills द्वार दायर किया गया हैं, जबकि लोड घटाये जाने सम्बन्धी आवेदन पूर्व में मैसर्स होटन अशोका कॉन्टीनेन्टल, द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन का भार दिसम्बर 2019 में घटाया जा चुका है, लगभग 04 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् शिकायतकर्ता द्वारा कम्पनसेशन की मांग की जा रही है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3.3.1 to Sub-Regualtion 3.3.3 for LT connections and Sub-Regulation 3.4.1 to Sub-Regulation 3.4.3 fo HT/EHT connections of these Regulations, the distribution Licensee shall complete the works as per timelines specified in these Regulations. However, if enhancement/ reduction of load does not require any alteration of line/substation works the contracted load shall be enhanced/ reduced within 30 days for HT/EHT connections and within 15 days fo LT connections from the date of submission of application".

मंच द्वारा विपक्षी के उपरेक्त विलंब के लिए परिवादी के अनुरोध पर क्षतिपूर्ति दिये जाने पर विचार किया गया है। मंच के संज्ञान में यह तथ्य आया कि विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि से 614 दिनों के विलंब से परिवादी का विद्युत भार धटाकर 50 कि0वा0 से 20 कि0वा0 किया गया, जिसके लिए **UERC Guranteed Standards of Performance and Compensation to Affected Person in Case of Default Regulation, 2022** के **Schedule –III, 1 (3)** के तहत् दी गई सीमा से 614 दिनों के विलंब के लिए 50 रू0 प्रतिदिन की दर से परिवादी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। अतः 614 दिनों के विलंब के लिए

50 रू0 प्रतिदिन की दर से रू0 30700.00 की क्षतिपूर्ति परिवादी को अनुमन्य किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के विद्युत भार को 50कि0वा0 से घटाकर 20 कि0वा0 दिये जाने में नियत सीमा से 614 दिनों के विलंब के लिए 50 रू0 प्रतिदिन की दर से रू0 30700.00 की क्षतिपूर्ति परिवादी को अनुमन्य की जाती है, जिसका समायोजन परिवादी की आगामी विद्युत बिलों में किया जाये। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

28.06.24	28.06.24	28.06.2024
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 153/2023

श्रीमती बलविन्दर कौर — परिवादी
निवासी– नाईन माउंटेंस मोटर्स,
खसरा नं0 979JA एवं 979SA जोगीवाला चौक,
हरिद्वार रोड, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: २8.06.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered regarding abnormally high electricity bill in connection no. 970K000029374. The Complaint submits and praysas under:-

This letter is to bring to your attention that the undersigned is a consumer of UPCl having establishment at Khasra no. 979JA- SA, at Jogiwala Chowk, Haridwar road, Dehradun. We are regularly paying the electricity bill from the date we got our connection in the year 2016.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

To our out most surprise we received an abnormally high electricity bill amounting to Rs. 1,93,350@- for the billing period from 31/08/2023 to 30/09/2023 (copy of the bill attached for your redy refrence) and shocked to see this high amount of bill. We immediately contact the office of the Executive Engineer, EDD (Rural) UPCL and requested them that since there is an abnormal rise in our electricity bill therefore we requested them the sub-divisional officer vide our letter dated 04/10/2023 for installation of check meter at our establishment. We also deposite the required fees for installation of check meter. The department vide their latter dated 06/10/2023 informed us that they are installing a check meter at our establishment and gave the reason for installation for meter as "excess reading". Copy of letter dated 04/10/2023, 06/10/2023 and copy of the receipt showing deposit of check meter fees is enclosed for your ready refrence.

It is informed that no check meter has been installed at our establishment till dae and we are being pressurized for depositing the bill which is technically not correct, illegal and not as per our meter raeding, again we requested the office of the Execuitve Engineer vide our letter dated 25/10/2023 (copy enclosed) but inspite of our repeated request no action has been taken till date.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 457, दिनांकित 25/01/2024 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्रीमती बलविन्दर कौर संयोजन संख्या 970K000029374 के दिनांक 31/08/2023 से दिनांक 30/09/2023 तक का मासिक विद्युत बीजक रू0 59381/– धनराशि का बनाय गया (उपभोक्ता की कंज्यूमर हिस्ट्री एवं कंज्यूमर लेजर डिटेल संलग्न)। सहायक अभियन्ता मीटर ने अपने पत्रांक 164/वि0प0शा0 आराघर/दे0दून दिनांक 29/09/2023 (छायाप्राति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 वाई0एम0पी0एल द्वारा ऑनलाईन टेस्टिंग करने पर उपरोक्त संयोजन का मापक 36.46 प्रतिशत स्लो पाया गया एवं मै0 वाई0एम0पी0एल द्वारा ऑफलाईन चैक करने पर आर. वाई एवं बी फेस की सीटी आउट ऑफ प्रमिसिबल लिमिट पाई गयी, इसलिए पुरानी सिटी की जगह नई सीटी लगाकर उपभोक्ता की मीटरिंग ठीक कर दी गयी। इस पत्र के साथ सीलिंग सार्टिफिकेट पुस्तक संख्या 087 नं0 021 दिनांक 05.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) एवं वाई0एम0पी0एल की चैकिंग रिर्पोट प्रोटोकॉल नं0 370 दिनांक 05.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) व प्रोटोकॉल नं0 103 दिनांक 10.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) इस आशय के साथ संलग्न की गयी है की दिनांक 05.09.2023 तक यू0ई0आर0सी0 के नियमानुसार 36.46 प्रतिशत स्लो के अनुसार निर्धारण किया जाये। इस आधार पर दिनांक 01.09.2022 से दिनांक 05.09.2023 तक का रू0 133969/– धनराशि का निर्धारण किया गया (गण्ना सीट की छायाप्रति संलग्न)। इस

निर्धारण को दिनांक 31.08.2023 से दिनांक 30.09.203 तक के मासिक विद्युत बीजक रू0 59381/– धनराशि में जोडकर रू0 193350/– धनराशि का विद्युत बजीक दिनांक 09.10.2023 को निर्गत किया गया (उपभोक्ता की कन्जयूमर लेजर डिटेल संलग्न)।

चैक मीटर नहीं लगाये जाने पर सहायक अभियन्ता (मीटर) को इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 394 वि0वि0ख0 (रा0)/उ0पा0का0लि/देहरदून दिनांक 23.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) प्रेषित किया गया। सहायक अभियन्ता मीटर द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 24.01.2024 को उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित कर दिया गया एवं उनके द्वारा सीलिंग प्रमाण पत्र पुस्तक संख्या 05 नं0 25 दिनांक 24.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत बिना चैक मीटर स्थापित किये परिवादी पर निर्धारण आरोपित किये जाने के संबंध में है, परिवादी की शिकायत पत्र प्राप्त होने के पश्चात् मंच द्वारा विपक्षी को नोटिस प्रेषित कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अपने पत्रांक संख्या 394 दिनांकित 23/01/2024 में सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत परीक्षणशाला (ग्रामीण) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, आराघर, देहरादून की उक्त परिवाद में चैक मीटर न लगने के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कारणों से सम्बधित आवश्यक अभिलेख व बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को दिनांक 24/01/2024 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के क्रम में सहायक अभियन्ता (मीटर) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 24/01/2024 को उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र 05 नं0 25 दिनांक 24/01/2024 के द्वारा स्थापित किया गया है एवं सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 05 न0 31के द्वारा फाईनल किया गया जिसके तहत् error permissible limit पाई गई।

विपक्षी द्वारा अपनी आख्या से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्रीमती बलविन्दर कौर संयोजन संख्या 970K000029374 के दिनांक 31/08/2023 से दिनांक 30/09/2023 तक का मासिक विद्युत बीजक रू0 59381/– धनराशि का बनाय गया (उपभोक्ता की कंज्यूमर हिस्ट्री एवं कंज्यूमर लेजर डिटेल संलग्न)। सहायक अभियन्ता मीटर ने अपने पत्रांक 164/वि0प0शा0 आराघर/दे0दून दिनांक 29/09/2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 वाई0एम0पी0एल द्वारा ऑनलाईन टेस्टिंग करने पर उपरोक्त संयोजन का मापक 36.46 प्रतिशत स्लो पाया गया एवं मै0 वाई0एम0पी0एल द्वारा ऑफलाईन चैक करने पर आर. वाई एवं बी फेस की सीटी आउट ऑफ प्रमिसिबल लिमिट पाई गयी, इसलिए पुरानी सिटी की जगह नई सीटी लगाकर उपभोक्ता की मीटरिंग ठीक कर दी गयी। इस पत्र के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

साथ सीलिंग सार्टिफिकेट पुस्तक संख्या 087 नं0 021 दिनांक 05.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) एवं वाई0एम0पी0एल की चैकिंग रिर्पोट प्रोटोकॉल नं0 370 दिनांक 05.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) व प्रोटोकॉल नं0 103 दिनांक 10.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) इस आशय के साथ संलग्न की गयी है की दिनांक 05.09. 2023 तक यू0ई0आर0सी0 के नियमानुसार 36.46 प्रतिशत स्लो के अनुसार निर्धारण किया जाये। इस आधार पर दिनांक 01.09.2022 से दिनांक 05.09.2023 तक का रू0 133969/– धनराशि का निर्धारण किया गया (गण्ना सीट की छायाप्रति संलग्न)। इस निर्धारण को दिनांक 31.08.2023 से दिनांक 30.09.203 तक के मासिक विद्युत बीजक रू0 59381/– धनराशि में जोडकर रू0 193350/– धनराशि का विद्युत बजीक दिनांक 09.10.2023 को निर्गत किया गया।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत मापक की जॉच **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3 (5),** के विनियम के तहत् नहीं की गई, क्योंकि विपक्षी के अनुसार मै0 वाई.एम.पी.एल. द्वारा ऑनलाईन टेस्टिंग करने पर उपरोक्त संयोजन का मापक 36.46 प्रतिशत स्लो पाया गया, जिस आधार पर 01/09/2022 से दिनांक

05/09/2023 तक का रू0 133969/– धनराशि का निर्धारण किया गया है, परन्तु विपक्षी द्वारा वाई.एम. पी.एल. की साईट टेस्टिंग मीटर/उपकरण का न तो कोई वैध एन.ए.बी.एल. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया न ही उक्त मीटर/उपकरण की शुद्धता संबंधी किसी भी दस्तावेज से मंच को अवगत कराया गया, जिसके फलस्वरूप मंच के मत में उपरोक्त निर्धारण वैध नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन करने पर मंच के संज्ञान में यह भी आया कि परिवादी द्वारा दिनांक 06/10/2023 को चैक मीटर शुल्क जमा किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा **UERC Guranteed Standards of Performance and Compensation to Affected Person in Case of Default Regulation, 2022** के **Schedule –III, (4) Compaints about Meters (1)** के प्रावधान का उल्लंघन कर लगभग (03 माह) पश्चात् चैक मीटर स्थापित किया गया है, जो कि विपक्षी की लापरवाही को दर्शाता है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3(5),** के उपरोक्त वर्णित विनियमों का उल्लंघन कर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादी पर आरोपित किया गया निर्धारण तर्कसंगत एवं न्यायोचित नहीं है, ऐसी दशा में परिवादी पर आरोपित निर्धारण रू0 133969/– समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3(5),** के उपरोक्त विनियम का उल्लंघन कर परिवादी पर आरोपित किया गया निर्धारण रू0 133969/– समाप्त करें एवं परिवादी को संशोधित बिल आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अन्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/06/24 | 28/06/24 | 28.06.

(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 160/2023

श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री स्व0 बलवीर सिंह
निवासी– लेन जे0, अलकनन्दा, एन्क्लेव
नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 29/06/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत बिलों को संशोधित करने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन बिन्दुवार निम्नानुसार है:–

1. विपक्षी सं0 01 द्वारा जारी बिल दिनांक 06 जून 2022 दुर्भावनानियम विरूद्ध एवं मिथ्या तरीके से जारी होने के कारण निरस्त किया जाये।
2. यह कि पूर्व में जारी अविवादित बिलों की विद्युत यूनिट के दृष्टिगत औसत यूनिट के आधार पर बिल संशोधित किया जाये।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. विपक्षी सं० 01 एवं 02 द्वारा दुर्भावना एवं व्यक्तिगत स्वार्थ के अन्तर्गत जानबूझकर निरंतर सेवा नियमावली के विरूद्ध किये गये अवैध कृत्यों से परिवादी को हुई आर्थिक, मानसिक व शारीरिक क्षति हेतु विपक्षी सं० 01 व 02 पर 5,00,000/– रू० का हर्जाना परिवादी को दिलाया जाये।
4. अन्य अनुतोष जो मान्नीय न्यायालय उचित समझे विपक्षी सं० 01 व 02 से परिवादी को दिलाया जाये।
5. यह कि बाद व्यय भी विपक्षी के परिवादी को दिखाया जाये।

उपरोक्त के संन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता (रा०) ने आख्या पत्रांक 578, दिनांकित 03.02.2024 से मंच को बिन्दुवार अवगत कराया है :–

बिन्दु संख्या 1:– श्री राजीव सिंह पुत्र स्व० बलवीर सिंह, निवासी लेन जे०, अलकनन्दा नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरदून द्वारा भवन निर्माण कार्य हेतु 60 दिन के लिए अस्थाई संयोजन हेतु उपखण्ड में आवेदित किया, संयोजन की प्रक्रिया पूर्ण करने एपं उपभोक्ता द्वारा आवश्यक धनराशि विभाग में जमा करने के उपरांत दिनांक 06.11.2019 को विद्युत संयोजन विद्युत मापक स्थापित करते हुये निर्गत किया गया।

बिन्दु संख्या 2:– उपभोक्ता श्री राजवीर सिंह द्वारा केवल 60 दिन हेतु अस्थाई संयोजन लिया गया था परन्तु 60 दिन पूर्ण होने के उपरांत उपभोक्ता श्री राजवीर सिंह द्वारा न तो विद्युत बिल प्राप्त होने की सूचना उपखण्ड कार्यालय को दी एवं न ही अस्थाई संयोजन की समयावधि बढाने हेतु कोई भी प्रार्थाना पत्र ही उपखण्ड को प्रेषित अथवा प्रस्तुत किया गया। एल०टी० रेगुलेशन 2020 के 5.2.A(3) में जैसा की स्पष्ट किया गया है कि " In case of not receipt of bill by the consumer the consumer shall be approach the licensee, who may furnish dublicate bill immediately".

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिल प्राप्त न होने पर विभाग को सूचित करने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की स्वंय की थी, चूंकि उपभोक्ता द्वारा बिल प्राप्त न होने की कोई सूचना उपखण्ड अधिकारी अथवा कार्यालय को नही दी गयी, एवं न ही कोई जानकारी थी कि उपभोक्ता को बिल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अतः श्री राजवीर सिंह द्वारा घोर लापरवाही बरतने एवं 06 माह पश्चात् अत्याधिक विलम्ब से बिल प्रेषित करने का आरोप अस्वीकार्य है।

बिन्दु संख्या 3:– उपखण्ड कार्यालय को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उपभोक्ता को बिल प्राप्त नहीं हो रहे है, परन्तु उपभोकता को पूर्ण जानकारी थी कि उन्हें समय से बिल प्राप्त नहीं हो रहे है, उनके द्वारा जानबूझकर कभी भी सूचित नहीं किया गया, चूँकि उपभोक्ता श्री राजवीर सिंह का यह कृत्य इरादतन था, अतः इस कृत्य हेतु उन्हे गैर जिम्मेदार ठहराया जाना एवं उनसे भी प्रशन किया जाना न्यायोचित होगा।

बिन्दु संख्या 4:– उपभोक्ता का 28 जनवरी 2022 का शिकायती पत्र जो कि इस कार्यालय के माध्यम से उपखण्ड कार्यालय को प्रेषित किया गया पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया। बिल चूंकि उपभोक्ता श्री राजवीर सिंह को प्रोविजनल (एन0ए0/एन0आर0) आधार पर रू0 9073.00 धनराशि का प्रेषित हो चुका था, उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपभोक्ता की मीटर रीडिंग की जॉच कर रीडिंग के अनुसार वास्तविक खपत के आधार पर बिल संशोधित कर रू0 3681.00 धनराशि का दिनांक 17.02.2022 को प्रेषित किया गया, जो कि नियमानुसार एवं टैरिफ में दिये गये प्रावधानो के अनुरूप है। उपभोक्ता को कोई अन्य बिल नहीं भेजा गया, चूंकि जो भी देय बनता है वह कंप्यूटर सिस्टम एवं टैरिफ में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप बनता है, कोई भी बिल वर्तमान में मैनुअल नहीं बनाया जा सकता है, उपभोक्ता श्री राजवीर सिंह का यह कहना है कि उन्हें दुर्भावना से बिल प्रेषित किये गये, अभिलेखों में हेरा–फेरा की गयी एवं जानबूझकर आर्थिक एवं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मानसिक हानि पहुँचाने की कोशिश की गयी, गलत व अस्वीकार्य है, चूंकि सभी बिल कम्पयूटर जनित है एवं टैरिफ के अनुरूप होते है। अतः बिल केविल संशोधित किया जा सकता है न कि जानबूझकर एवं इच्छाशक्ति से बनाये जा सकते है। शिकायत प्राप्त होने पर अन्य उपभोक्ताओं की तरह श्री राजवीर सिंह के बिल को भी समान्य प्रक्रिया के तहत संशोधित किया गया। (उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री एवं लेजर डिटेल संलग्न)

इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता श्री राजवीर सिंह के शिकायती पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें लगातार बिल प्रेषित किये जा रहे है।

बिन्दु संख्या 5:– इस सम्बन्ध में श्री कपिल देव नौटियाल, पूर्व उपखण्ड अधिकारी (आराघर) द्वारा अवगत कराया गया कि श्री राजवीर सिंह की शिकायत निराधार है एवं बिना किसी साक्ष्य के गलत शिकायत की जा रही है। चूंकि सभी संयोजन कम्प्यूटर के रीयल टाइम के आधार पर ही रजिस्टर एवं स्वीकृत होते है, जिनको बैक डेट किया जाना सम्भव नहीं है, जो कि वास्तविक है, उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने पर निराधार आरोप हेतु शिकायतकर्ता के विरूद्ध कार्यवही की जाये।

बिन्दु संख्या 6, 7, 8, 9, एवं 10 :– शिकायतकर्ता श्री राजवीर सिंह द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं मन गढंत है जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है, चूंकि पूर्व के बिल शिकायतकर्ता के निर्माणाधीन भवन के एवं कम धनराशि के होने के कारण जमा करा दिये गये। वर्तमान में शिकायतकर्ता निर्माणाधीन भवन के एक फ्लोर पर निवास भी कर रहा है, जिस कारण विद्युत उपभोग एवं अस्थाई संयोजन का टैरिफ समान्य से 25 प्रतिशत अधिक होने के कारण विद्युत बिल धनराशि अधिक होने से जमा न कराने की स्थिति

में निराधार आरोप लगाये जा रहे है, जबकि शिकायतकर्ता के वर्तमान के बिल वास्तविक खपत के आधार पर प्रेषित है।

उपखण्ड के अन्तर्गत लगभग 25000 उपभोक्ताओं के संयोजन है, जिनमें लगभग 98 प्रतिशत उपभोक्ताओं के बिल वास्तविक खपत अर्थात मीटर रीडिंग के आधार पर बनाये जाते है एवं अन्य बिल प्रोविजनल (एन0ए0 / एन0आर0) बनाये जाते है, जिनके सम्भावित मुख्य कारण निम्नवत् है:–

1. उपभोक्ता का मीटर गेट के अंदर स्थापित होना एवं उपभोक्ता का मौके पर अनुपस्थित होना।
2. रीडिंग के समय विद्युत बाधित होना एवं मीटर डिस्प्ले ऑफ होना।
3. निर्माणाधीन भवन में मीटर के ऊपर सिमेन्ट, डस्ट आदि का होना एंव मीटर डिस्प्ले साफ न दिखायी देना।
4. मीटर डिस्प्ले पर सूर्य के प्रकाश पडने के कारण डिस्प्ले ना दिखाई देना।

आपको यह भी अवगत कराना है कि मान्नीय यू0ई0आर0सी0 द्वारा जारी टैरिफ के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता का बिल नॉन रीडिंग का बनाया जाता है तो वह उस उपभोक्ता के गत 12 माह की औसत खपत के बराबर होता है एवं मीटर रीडिंग के उपरान्त उक्त बिल सिस्टम द्वारा स्वतः संशोधित कर उपभोक्ता को निर्गत किया जाता है।

बिन्दु संख्या 11, 12 एवं 13 :– उपभोक्ता / शिकायतकर्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक की विभागीय जॉच करायी गयी, विद्युत मापक सही कार्य करता पाया गया। अतः उपभोक्ता को वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल प्रेषित किये जा रहे है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की मूल शिकायत विपक्षी द्वारा प्रेषित विद्युत बिल दिनांकित 06.06.2022 प्रेषित किये जाने के उपरांत उत्पन्न

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

हुई है। परिवादी द्वारा अपनी शिकायती पत्र में अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा 06.06.2022 को दुर्भावना नियम विरूद्ध एवं नित्य तरीके से विद्युत बिल जारी किया गया है, जो कि निरस्त किया जाये।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1 (2)** का उल्लंघन किया गया है एवं विपक्षी द्वारा परिवादी को अस्थाई संयोजन के अवधि पूरे होने के उपरांत भी किसी प्रकार की सूचना/नोटिस प्रेषित नही किया गया संबन्धी साक्ष्य मंच्र में प्रस्तुत नही किये गये जिससे विपक्षी की अपने कृतव्य के प्रति लापरवाही परलक्ष्पित होती है। विपक्षी के इस कृत्य से विद्युत विभाग को राजस्व हानि भी हुई है।

मंच द्वारा परिवादी की कन्ज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विवादित बिल चक्र 06.06.2022 से न तो पूर्व परिवादी को इतनी अधिक विद्युत खपत रही न ही विवादित बिल चक्र के बाद। पत्रावली पर उपलब्ध कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 13. 04.2022 से दिनांक 06.06.2022 अर्थात् 54 दिनों में 01 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 2932 यूनिट की खपत दर्शायी है, जो कि 54.29 यूनिट प्रतिदिन की विद्युत खपत होती है। विपक्षी द्वारा 01कि0वा0 के स्वीकृत भार पर 54..29 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गयी खपत को मंच बिना किसी ठोस तकनीकी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नही कर सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादी को दिनांक 10.02.2022 तक मीटर यूनिट के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिनका परिवादी द्वारा भुगतान किया जा रहा था। विपक्षी परिवादी की उपरोक्त विवादित खपत को ठोस तकनीकी साक्ष्य (एम0आर0आई0 रिर्पोट)/तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को विपक्षी द्वारा प्रेषित विद्युत बिल दिनांकित 06.06.2022 निरस्त करें एवं उक्त बिल को परिवादी की अधिकतम मांग LDHF सूत्र के अनुसार 172.8 अर्थात् 173 यूनिट आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का दिनांक 06.06.2022 का बीजक निरस्त कर उक्त बिल को परिवादी की अधिकतम मांग LDHF सूत्र के अनुसार 172.8 अर्थात् 173 यूनिट आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

29.06.24 29/06/24 29.06.

(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरमाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 170/2023

श्री अरूण कुमार पुत्र स0 हरवीर सिंह
निवासी– C-14, टाईप नं0–1
थाना क्लेमेनटाउन, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 18.06.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि थाना क्लेमेन्टाउन के आवास सं0– सी–14 टाइप–1 में वर्ष 2009 से वर्ष फरवरी 2017 तक प्रार्थी निवासरत रहा है। वर्ष 2011 में थाना प्रांगण के सभी आवासों में विद्युत मीटर लगाये गये थे जो कि सभी इनचार्ज थाना क्लेमेनटाउन के नाम से थे। विद्युत विभाग द्वारा मेरे आवास सी–14 टाईप–1 पर जो मीटर लगाया गया था, उसका कंज्यूमर नं0 SD25538139324 है। जिस पर प्रार्थी द्वारा वर्ष 2009 से

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयोजन सं0 SD25538139505 के सापेक्ष (6276.00+ 5700.00) कुल रू0 11976.00 मात्र श्री मनोज पवांर द्वारा जब से संयोजन लगा है, जमा किये गये हैं इसके अतिरिक्त कोई भी धनराशि जमा नहीं कराई गयी है।

शिकायतकर्ता श्री अरूण कुमार, द्वारा प्रार्थाना पत्र में अवगत कराया गया है कि वे वर्ष 2009 से फरवरी 2017 तक आवास सं0–सी–14 में निवासरत रहे हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान संयोजन सं0 SD25538139324 के सापेक्ष किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न तथ्य आपके संज्ञान में लाने हैं :–

1. शिकायतकर्ता श्री अरूण कुमार के कथनानुसार वे आवास सं0– सी–14 में निवासरत रहे हैं।
2. आवास सं0– सी–14 को विद्युत सप्लाई संयोजन सं0 SD25538139505 से हो रही रह थी, वर्तमान में भी हो रही है।
3. शिकायतकर्ता श्री अरूण कुमार द्वारा संयोजन सं0 SD25538139324 के सापेक्ष बिलों का भुगतान किया गया।
4. उक्त संयोजन सं0– SD25538139324 आवास सं0– सी–6 को आवंटित है।

5. संयोजन सं0– SD25538139324 का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसके सापेक्ष 2009 से फरवरी 2017 तक मात्र (6232.00 + 4945.00) = कुल रू0 11677.00 जमा किये गये है, जबकि संयोजन सं0 SD25538139505 का बिल दिसम्बर 2009 से फरवरी 2017 तक रू0 32,204 मात्र है।

6. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा आवास सं0– सी–14 पर स्थापित संयोजन सं0 SD25538139505 का बिल न भुगतान कर आवास सं0–सी–6 पर स्थापित संयोजन सं0– SD25538139324 के बिलों का रू0 11677.00 भुगतान किया गया। जबकि उन्हें संयोजन सं0– SD25538139505 के बिलों का रू0 32,204 भुगंतान करना था।

7. शिकायतकर्ता श्री अरूण कुमार द्वारा संयोजन सं0 SD25538139324 के सापेक्ष जमा भुगतान रू0 11,677.00 को संयोजन सं0– SD25538139505 में समायोजित करने पर श्री अरूण कुमार द्वारा रू0 (32204.00 - 11677.00) = कुल रू0 20,527 देय होगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया था तथा जब विपक्षी को उपरोक्त शिकायत के संबंध में जानकारी चाही गई तो विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी द्वारा त्रुटिवश संयोजन संख्या SD25538139324 पर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विद्युत बिलों का भुगतान किया जा रहा था, जबकि उनके द्वारा संयोजन सं0– SD25538139505 का भुगतान करना था।

मंच द्वारा वाद संख्या 83/2022 में पारित आदेश दिनांकित 29/10/2022 का संज्ञान लिया गया क्योंकि परिवादी अरूण कुमार आवास सं0 सी–14 टाईप–1 में वर्ष 2009 से फरवरी 2017 तक निवासरत रहा है। परिवादी के बाद आवास सं0 सी–14 टाईप–1 में का0 धमेन्द्र एवं इसके बाद का0 मनोज पवांर निवासरत रहें है। श्री मनोज पवांर द्वारा दायर वाद में विपक्षी द्वारा स्वीकार किया गया था कि श्री मनोज पवांर द्वारा त्रुटिवश संयोजन सं0 SD25538139324 का भुगतान कर दिया गया था, जबकि उनका संयोजन SD25538139505 का भुगतान किया जाना था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा परिवादी द्वारा जमा की गयी राशि रू0 6276.00 को घटाते हुए उक्त संयोजन संख्या से CCBR के माध्यम से घटाने हेतु एवं संयोजन सं0 SD25538139324 में जोडने हेतु अग्रसारित कर दी गयी है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि आवास सं0 सी–14 टाईप–1 में वर्ष 2009 से वर्ष 2022 तक संयोजन सं0 SD25538139324 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे थे, जबकि उक्त परिसर पर वर्तमान में संयोजन सं0 SD25538139505 स्थापित है। परिवादी श्री अरूण कुमार द्वारा जमा की गयी अंतिम

धनराशि रू0 6732/– भी संयोजन सं0 SD25538139324 में जमा की गई राशि जो मेल खाती है एवं उक्त संयोजन के बिल भी 30/09/2018 से 01/08/2022 तक एन0आर0/एन0ए0 के आधार पर प्रेषित किये जाते रहे है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को संयोजन सं0 SD25538139505 के आधार पर विद्युत बिल प्रेंषित किये जाते रहे है, जिसका परिवादी द्वारा पूर्ण भुगतान आवास खाली करने के तिथि तक अंतिम राशि रू0 6732/– के द्वारा भुगतान किया जा चुका है। ऐसी दशा में विपक्षी का यह कथन है की शिकायतकर्ता श्री अरूण कुमार द्वारा संयोजन सं0 SD25538139324 के सापेक्ष जमा भुगतान रू0 11,677.00 को संयोजन सं0– SD25538139505 में समायोजित करने पर श्री अरूण कुमार द्वारा रू0 (32204.00 - 11677.00) = कुल रू0 20,527 देय होगा जो कि तर्कसंगत एवं न्यायोचित नहीं है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी से संयोजन सं0 SD25538139324 के सापेक्ष जमा भुगतान रू0 11,677.00 को संयोजन सं0– SD25538139505 में समायोजित करने पर श्री अरूण कुमार द्वारा रू0 (32204.00 - 11677.00) = कुल रू0 20,527 के क्रम में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कंज्यूमर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

हिस्ट्री से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा उन्हें प्राप्त संयोजन सं0 SD25538139324 के सापेक्ष प्रेषित विद्युत बिलों का भुगतान आवास सी–14 टाईप–1 01/2017 में खाली किये जाते वक्त पूर्ण किया जा चुका है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी पर जारी देय रू0 20,527 समाप्त करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18/06/24

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

18/06/24

(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

18.06.2

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

ectricity Consumer Grievance Redressal Forum
arhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 175 / 2023

श्री अमर सिंह — परिवादी
निवासी– विजय लोक, नियर फोज बेकर,
बालावाला ,देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 29/06/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत भार त्रुटिपूर्ण बढने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मुझे दिनांक 06.01.2024 को मेरे मोबाईल पर एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि आपका अनुबंध विद्युत भार 01 कि0वा0 से बढकर 03 कि0वा0 कर दिया गया है। महोदय मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा भूतकाल एवं वर्तमान में कोई भी विद्युत भार बढोतरी के लिए आवेदन नहीं किया गया है (संदेश प्रतिलिपि संलग्न) महोदय हमारा विद्युत बिल पहले से ही ज्यादा आता है जिसकी शिकायत हम पहले भी विद्युत कार्यालय में कर चुके है। महोदय हमारा विद्युत अनुबंध घरेलू है, तब भी हमें बहुत ज्यादा कारोबारी भार के दर के अनुरूप ही भुगतान करना पड रहा है। महोदय मै एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ तथा इतनी अधिक भुगतान करने में असमर्थ हूँ। मेरी वित्तीय स्थिति को संज्ञान में लेते हुए मेरी अर्जी पर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत नि मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 571 दिनांकित 28/02/2024 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री अमर सिंह (संयोजन सं0 9711311150565) के मीटर की रीडिंग चैक करने पर इनके मीटर के वर्तमान रीडिंग 11569 KWH, 11920KVAH एवं अधिकतम डिमांड 03 KW प्रदर्शित हो रही थी, शिकायतकर्ता द्वारा एम0आर0आई0 करने एवं चैक मीटर स्थापित करने पर भी आपत्ति प्रकट की गई है, जिस कारण मीटर की एम0आर0आई0 नहीं की जा सकी जबकि इनके द्वारा मीटर चकै करने हेतु आवश्यक धनराशि हेतु रू0 118/– दिनांक 17.02.2024 को जमा भी गई थी। विद्युत भार बढाने हेतु RAPDRP द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सिस्टम जनरेटेड मैसेज प्रेषित किये गये है जो कि सभी उपभोक्ताओं जिसका स्वीकृत भार अधिकतम भार से कम है को प्रेषित किये जा रह है, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा संलग्न कर प्रेषित किया गया है, एवं उपभोक्ता का विद्युत भार RAPDRP द्वारा सप्लाई कोड–2020 की धारा 5.2.3 के अन्तर्गत बढाया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की शिकायत के अनुसार विपक्षी द्वारा बिना परिवादी के अनुमति के उनके विद्युत भार को 01 कि0वा0 से 03 कि0वा0 में परिवर्तित कर दिया गया है जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

उक्त के संबंध में मंच द्वारा विपक्षी की आख्या का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विपक्षी द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.3 (B)**. के उक्त रेगुलेशन अनुसार ही परिवादी का विद्युत भार 01 कि0वा0 से 03 कि0वा0 किया गया है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर संलग्न कंज्यूमर हिस्ट्री से भी हो जाती है।

ctricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

उपरोक्त परिस्थितियों उपरांत मंच इस मत का है कि इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

29/06/24 (दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/06/24 (सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

29.06.2 (त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 176 / 2023

श्रीमती प्रीति म0का0 1276
निवासी– C-14, टाईप नं0–1
थाना क्लेमेनटाउन, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 18.06.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी म0का0 1276, थाना क्लेमेनटाउन में कार्यरत है, मेरे विभाग द्वारा मुझे 01.09.2023 को आवास संख्या 14, टाईप 1 आवंटित किया गया था, जिसमें कनेक्शन संख्या SD25538139505 पूर्व से ही स्थापित था, जिसका पूर्व से ही लगभग 34,000 रू0 बकाया चल रहा था, जिसके पश्चात् मुझे लगभग तीन–चार विद्युत बिल प्राप्त हो गये थे। उन सभी बिलों की पूर्व की धनराशि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जुडकर आ रही है, जिस कारण मुझे मेरे वास्तविक खपत के बिलों को जमा करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि मेरे द्वारा उपभोग की गयी वास्तविक विद्युत यूनिटों के आधार पर बिल संशोधित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपनी आख्या 1307 दिनांकित 18.03.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि श्रीमती प्रीति, म0का0 1276, 1276, सी–14, टाईप नं0–1, थाना क्लेमेन्टाउन, देहरादून बनाम उपाकालि के वाद के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराना है:–

1. आवेदक द्वारा अपने सरकारी आवास में लगे विद्युत संयोजन संख्य - SD25538139505 के संबंध में अधिक बिल आने के सम्बन्ध में शिकायत की। जो कि वास्तविक खपत के आधार पर है।
2. अवगत कराना है कि उपरोक्त संयोजन दिनांक 24.10.2009 को इन्चार्ज, थाना क्लेमेनटाउन, दे0दून के नाम निर्गत किया गया है, उक्त संयोजन से विद्युत आपूर्ति थाने के अग्र भाग में निर्मित क्वार्टर सं0–सी–14 को हो रही है। पूर्व में श्री मनोज पवांर द्वारा परिवादी सं0– 83/2022 श्री मनोज पवांर बनाम उपाकालि योजित किया गया था, जिसमें श्री मनोज पवांर द्वारा विद्युत संयोजन सं0– SD25538139505 के सापेक्ष विद्युत बिल जमा न कर रू0 6276.00 संयोजन सं0 SD25538139321 के सापेक्ष (दिनांक 21.05.2018 से दिनांक 14.06.2020 तक) जमा किये गये। जिन्हें मा0 मंच के

आदेशानुसार दिनांक 02.11.2022 को संयोजन सं0 SD25538139505 से घटा कर बिल संशोधित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 13.03.2023 को श्री मनोज पवांर द्वारा धनराशि रू0 5700.00 कैश संयोजन सं0 SD25538139505 के सापेक्ष जमा की गई है।

3. उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयोजन सं0 SD25538139505 के सापेक्ष (रू0 6276.00 +5700-00) कुल धनराशि 11976.00 मात्र श्री मनोज पवांर द्वारा जब से संयोजन लगा है, जमा किये गये है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य धनराशि जमा नहीं करायी गयी है।

4. 13 मार्च 2023 में कुल विद्युत बकाया रूपये (39,097.00 – 5700.00) = 33,397.00 अवशेष था। वर्तमान में दिनांक 09.03.2024 तक 38,461.00 अवशेष है।

5. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रीमती प्रीति द्वारा कुल रू0 (38461.00 – 3397.00) =5064.00 की धनराशि देय है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में अवगत कराया है। परिवादी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके विभाग द्वारा उन्हें आवास सं0 C-14 टाईप– 1 आवंटित किया गया था, जिसमें पूर्व से ही कनेक्शन सं0 SD25538139505 स्थापित था, जिसका की उन्हें आवास आवंटित होने से पूर्व ही लगभग

रू0 34000/– बकाया चलता आ रहा है, जिस कारण वह अपना वास्तविक विद्युत खपत का बिल जमा नहीं कर पा रही है। विपक्षी द्वारा उपरोक्त के क्रम में अवगत कराया गया है कि संयोजन सं0 SD25538139505 के सापेक्ष (रू0 6276.00 +5700.00) कुल धनराशि 11976.00 मात्र श्री मनोज पवांर द्वारा जब से संयोजन लगा है, जमा किये गये है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। 13 मार्च 2023 में कुल विद्युत बकाया रूपये (39,097.00 – 5700.00) = 33,397.00 अवशेष था। वर्तमान में दिनांक 09.03.2024 तक 38,461.00 अवशेष है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रीमती प्रीति द्वारा कुल रू0 (38461.00 – 3397.00) = 5064.00 की धनराशि देय है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अपनी उपरोक्त आख्या में स्वीकार किया गया है कि परिवादी श्रीमती प्रीति द्वारा कुल रू0 (38461.00 – 3397.00) = 5064.00 की धनराशि देय है। अतः मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी से उनकी वास्तविक खपत के आधार पर ही रू0 5064.00 का विद्युत बिल राशि प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अवशेष राशि इंचार्ज थाना क्लेमेन्टाउन से उक्त संयोजन पूर्व में उपयोग किये गये व्यक्ति से किये जाने हेतु पत्राचार किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को उनकी वास्तविक खपत की राशि रू0 5064.00 लिया जाना सुनिश्चित करें एवं शेष राशि अन्य व्यक्ति जिनके द्वारा पूर्व में उक्त विद्युत मापक का उपभोग किया गया है, इंचार्ज थाना क्लेमेनटाउन के द्वारा उनसे प्राप्त करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

18/06/24 — (दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

18/06/24 — (सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

18.06.24 — (त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

ectricity Consumer Grievance Redressal Forum.
arhwal Zone)
bar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
hradun –248001
one 0135-2769745,2769755,2761956
ffice: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत ...
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 179/2023

परिवादी

श्री चंदर मोहन चोपड़ा,
निवासी– 39, लाजपत नगर,
नकोदर रोड़, जालंधर, पंजाब।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

दिनांक : 14.06.2024

कोरम	
श्री त्रिभुवन सिंह	न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद	तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 9711213600233 जो कि श्री अतर सिंह पुत्र श्री नौरतू के
नाम से अवमुक्त है को स्थाई रूप से विच्छेदित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।
परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री अतर सिंह पुत्र श्री नौरतू द्वारा
उनकी सम्पत्ति पर विद्युत संयोजन संख्या 9711213600233 लिया गया है जो की गैरकानूनी है, क्योकि
परिवादी का कहना है कि उक्त सम्पत्ति का मालिकाना हक उनके पास है, जिस कारण वह उपरोक्त विद्युत
संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कराना चाहते है।
उपरोक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी के अपनी आख्या पत्रांक संख्या 266 दिनांकित 01/03/2024
के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री अतर सिंह द्वारा दिनांक 28.11.2016 को तत्कालीन विद्युत वितरण
उपखण्ड आराघर में नये संयोजन हेतु आवेदन किया था, इनके द्वारा मा0 ***UERC*** के ***(Release of New***

Connections,Enhancement and Reduction of Loads) Regulations 2013 की धारा ***4(A)*** के ***Proof of Ownership*** न होने की स्थिति में संयोजन हेतु तीन गुना जमानत धनराशि जमा कराई गई, तत्कालीन अवर अभियन्ता के द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त आवेदन के कब्जा होने की स्थिति में ही अतर सिंह पुत्र श्री नौरतु को 03 दिसम्बर 2016 को विद्युत संयोजन निर्गत किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा श्री अतर सिंह पुत्र श्री नौरतू कों मा0 ***UERC*** के ***(Release of New Connections,Enhancement and Reduction of Loads) Regulations 2013*** की धारा ***4(A)*** के ***Proof of Ownership (V)*** के तहत् नियामानुसार संयोजन प्रदान किया गया है। वर्तमान में लागू मा0 ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 29, 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 CHAPTER 6: Disconnection &Reconnection 6.(1)(2)*** के विनियमों अनुसार ही विद्युत संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है। इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14.06.24	14/06/24	14.06.2024
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.

परिवाद सं0 182/2023

श्री विरेन्द्र कुमार बांगा,
पुत्र स्व0 मुकंदलाल बांगा,
निवासी– गली नं0 09, गंगा नगर ऋषिकेश,
जिला–देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
ऋषिकेश। विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक : 15.06.2024

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RK25228423582 के विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कि मेरा विद्युत संयोजन नं0 5228 / 423582, खाता नं० 42300470070 है। जिसका कनेक्शन मैंने माह जून 2023 में लिया था। जिसका पहला बिल बिना रीडिंग के रू0 10,275 / – आया था। उसके बाद हमारा पूरा परिवार देहरादून अपने पुत्र के पास चला गया था। उसके बाद जब हम देहरादून से लौटकर ऋषिकेश आये तो माह फरवरी 2024 में आई०डी०एफ० का

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27
ई–मेल cgrfgz@gmail.

बिल मुझे रू0 88,018/- का प्राप्त हुआ। जो कि सरासर गलत है। यह बिल इन्होंने मुझे पहले बिल के आधार पर, जो कि बिना रीडिंग के था, उसके आधार पर भेजा है। जो कि सरासर गलत है। यह भी अवगत करना है कि मुझे खराब विद्युत मीटर के द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त बिल को संशोधन करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी के अपनी आख्या पत्रांक संख्या 179 दिनांकित 05/03/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं0–RK25228423582 पर स्थापित मीटर की रीडिंग 1566 kwh पर दिनांक–14.07.2023 को धनराशि 10275.00 रू० का प्रथम बिल निर्गत किया गया, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नही किया गया है। उसके उपरान्त उपभोक्ता द्वारा माह–02/2024 मे उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपखण्ड कार्यालय मे मौखिक रूप से शिकायत के उपरान्त मीटर का निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि मीटर की डिस्पले खराब है। इस क्रम मे उपभोक्ता का दिनांक–23.02.2024 को IDF के आधार पर औसतन 88018.00 रू0 का बिल निर्गत किया गया है, जिस पर उपभोक्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त की जा रही है। उपभोक्ता के बिल की पुनः जांच की गयी एवं पाया गया कि उक्त बिल मे किसी प्रकार का कोई संशोधन होना सम्भव नही है।

मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 11.03.2024 को विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि परिवादी के विवादित विद्युत मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में अगली नियत तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 216 दिनांकित 20.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त विषयक उपभोक्ता श्री विरेन्द्र कुमार बांगा पुत्र स्व० मुकुन्द लाल बांगा, गली नं0–09,

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

गंगा नगर, ऋषिकेश (वाद सं0–182/2023) के प्राप्त शिकायत के संदर्भ मे अवगत कराना है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं0–RK25228423582 पर स्थापित मीटर की रीडिंग 1566 kwh पर दिनांक–14.07.2023 को धनराशि 10275.00 रू० का प्रथम बिल निर्गत किया गया, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नही किया गया है। उसके उपरान्त उपभोक्ता द्वारा माह–02/2024 मे उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपखण्ड कार्यालय मे मौखिक रूप से शिकायत के उपरान्त मीटर का निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि मीटर की डिस्पले खराब है। इस क्रम मे उपभोक्ता का दिनांक–23.02.2024 को IDF के आधार पर औसतन 88018.00 रू0 का बिल निर्गत किया गया है, जिस पर उपभोक्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त की जा रही है।

इस संदर्भ मे आपको अवगत कराना है कि उपभोक्ता के परिसर पर लगे मीटर की MRI करने का प्रयास किया गया, किन्तु उक्त मीटर की MRI करना सम्भव नही हो पा रही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार दिनांक 14.07.2023 को 1566 यूनिट जो कि रू0 10275.00 एवं दिनांक 23.02.2024 को 10962 यूनिट जो कि रू0 88018.00 का बिल आया जिसपर परिवादी को आपत्ति है। मंच द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि परिवादी को संयोजन अवमुक्त होने की तिथि दिनांक 01.06.2023 से 14.07.2023 अर्थात् 44 दिनों में 1566 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया एवं 14.07.2023 से 23.02.2024 अर्थात् 224 दिनों में 10962 यूनिट का बिल भेजा गया, अर्थात् कुल 268 दिनों में 12528 यूनिट का उपभोग दर्शाया गया है जो कि 46.74 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है, उक्त अवधि की LDHF सूत्र के तकनीकि अनुसार भी परिवादी का अंकन किया जाये तो परिवादी की 2572.8 अर्थात् 2573 यूनिट की खपत होती

है, अतः विपक्षी द्वारा 3 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 46.74 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गई खपत को मंच बिना किसी ठोस तकनीकि आधार के आभाव में स्वीकार नहीं कर सकता है।

विपक्षी परिवादी की विवादित खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 01/06/2023 से दिनांक 23.02.2024 तक प्रेषित बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों को पूर्व की तीन बिल चक्रो की औसत खपत उपलब्ध न होने के कारण परिवादी की अधिकतम मॉग LDHF सूत्र (3×268×8×.4)=2572.8 अर्थात् 2573 यूनिट के आधार पर संशोधित किया जाता तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 01/06/2023 से दिनांक 23.02.2024 तक प्रेषित बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों को पूर्व की तीन बिल चक्रो की औसत खपत उपलब्ध न होने के कारण परिवादी की अधिकतम मॉग LDHF सूत्र (3×268×8×.4)=2572.8 अर्थात् 2573 यूनिट के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित विद्युत बिल पर किसी भी प्रकार कस सरचार्ज देय नही होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15/06/24   15/06/24   15-06

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 211/2023

Shri. Hitesh Kumar Himamtlal **V/s** **Executive Engineer, EDD, (S) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 06.06.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 06.06.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई पूर्व आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनका विद्युत मीटर खराब है एवं एक माह से भी अधिक समय से कार्य नहीं कर रहा है उनके द्वारा 1912 पर इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करायी गई है उनका विद्युत मापक जॉच कर परिवर्तित किया जाये परन्तु शिकायत करने की तिथि तक उनकी शिकायत का कोई भी संदर्भ ग्रहण नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को उक्त मापक को परिवर्तित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1375 दिनांकित 01.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत परीक्षण शाला, नगरीय, 18 ई0सी0 रोड़, द्वारा दिनांक 23.03.2024 को उपभोक्ता का खराब मीटर बदल दिया जा चुका है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर दिनांक 23.03.2023 को ई–मेल के माध्यम से अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि ई–मेल के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वयं/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

06/06/24 — (दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

06/06/24 — (सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

06/06/2 — (त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 212 / 2023

कैप्टन महेश जोशी (सेवानिवृत्त) — परिवादी
203/1 गुरूद्वारा कालोनी,
क्लेमेनटाउन, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 28/06/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके ऑनलाईन विद्युत बिल की धनराशि को आगामी विद्युत बिल में समायोजित करने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि कैप्टन महेश जोशी, वर्तमान में सन् 1999 से गुरूद्वारा कालोनी, क्लेमेनटाउन, देहरादून में निजी आवास में रहता हूँ। मैने 19.01.2024 को विद्युत बिल ऑनलाइन रू0 4679.00 जमा करायी गयी, परन्तु माह फरवरी में जो विद्युत बिल आया तो जो ऑनलाईन पेमेंट जनवरी माह में जमा कराई गयी थी, वह बिल फरवरी के बिल में समायोजित होकर नही आया। उपरोक्त धनराशि फरवरी 2024 के बिल में जुड कर आया है। अतः आपसे निवेदन है कि जो मेरे द्वारा ऑनलाईन भुगतान किया गया है उसे समायोजित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1376, दिनांकित 01 / 04 / 2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 212 / 2023 श्री कैप्टन महेश जोशी (सेवानिवृत्त), निवासी– 203 / 1, गुरूद्वारा कालोनी, क्लेमेनटाउन, लेन–3, कैंट, देहरादून बनाम उपाकालि0 के समक्ष योजित है, उक्त वाद के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा अपने विद्युत संयोजन सं0 SD25538106950 के सापेक्ष धनराशि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

4679.00 ऑनलाईन जमा कराई गयी है, जो कि अतिरिक्त जमानत धनराशि की रकम है, जिसे उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल धनराशि समझा जा रहा है, जो कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपभोक्ता को ज्ञात करा दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन सं0 SD25538106950 के सापेक्ष ऑनलाईन धनराशि रू0 4679.00 जो कि अतिरिक्त जमानत धनराशि की रकम है, जिसे उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल की धनराशि समझा जा रहा है, जिसके संबंध में विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान अवगत करा दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच इस मत का है कि परिवादी द्वारा रू0 4679.00 जमा की गयी राशि बिल के सापेक्ष जमा नहीं की गयी है, अपितु जमानत धनराशि के रूप में जमा की गयी है, जो कि उनके विद्युत अकांउट सं0 40106183742 में दर्शित हो रही है। अतः इस परिस्थित में उक्त परिवाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, वाद बलहीन हाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद बलहीन हाने के कारण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

28/06/24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/06/24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

28.06.24
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 213/2023

श्री प्रभात मैठाणी
प्रमुख वित्त विभाग
कैम्प 108 आपातकालीन सेवा
चन्दर नगर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

दिनांकः 28/06/2024

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि संस्था 05 वर्षो से उत्तराखण्ड राज्य में 108 आपातकालीन सेवा का संचालन सफलतापूर्वक कर रही है एवं राज्य के निवासियों को उत्कृष्ट आपातकालीन सेवायें प्रदान कर रही है। विद्युत विभाग द्वारा प्रत्येक माह दिए गए विद्युत बिल का संस्था हमेशा समय पर भुगतान करती रही है। किन्तु विभाग माह मार्च 2024 में अचानक प्राप्त विद्युत बिल (प्रतिलिपि संलग्न) में रू0 110272/– का अतिरिक्त भार निरोपित किया गया है। जबकि संस्था कार्यालय में प्रत्येक माह विभाग के कर्मचारी मीटर को चैक करके बिल प्रदान करते हैं। संस्था द्वारा उपरोक्त अतिरिक्त निरोपित धनराशि के बारे में पता करने पर मीटर में कुछ खराबी होने संबंधी जानकारी दी गई। जबकि विभागी कर्मी द्वारा प्रतिमाह मीटर का निरीक्षण कर प्रदत्त बिल का संस्था द्वारा भुगतान समय पर किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि संस्था का अतिरिक्त निरोपित

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विद्युत भार माफ करने की कृपा करें। संस्था द्वारा शेष विद्युत भार रू0 99444/– देय तिथि 22.03.2024 से पूर्व जमा कर दिया जायेगा।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 1658, दिनांकित 08/04/2024 से मंच को आख्या का विवरण बिन्दुवार अवगत कराया हैः–

1. वादी के परिसर में 11 के0वी0 पर 295 के0वी0 भार का संयोजन (सं0के0एन0ओ0–115) यू0ए0हेल्थ सेन्टर के नाम पर निर्गत है। (हिस्ट्री की प्रति संलग्न)।
2. वादी के उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर (सं0–13266675) एलएण्डटी निर्मित पर एक फेज में कम वोल्टेज दर्शनीय होने के कारण दिनांक 10.01.2024 (सिलिंग सं0–74/03) जांच हेतु चैक मीटर सं0 (सं0–20810608) सेक्योर निर्मित, मा0 नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नियमन अनुरूप स्थापित किया गया। (सीलिंग व एम0आर0आई0 की प्रति संलग्न)।
3. सीलिंग सं0 (74/07) दिनांक 20.01.2024 द्वारा चैक मीटर फाईनल कद दिया गया। (सीलिंग की प्रति संलग्न)।
4. उक्त दोनों सीलिंग के साथ, टेस्ट मीटर रिर्पोट संलग्न करते हुए सहायक अभियन्ता (मीटर) नगरीय विद्युत परीक्षण शाला (के) देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 25 दिनांक 24.01.2024 द्वारा अवगत कराया कि वादी का मीटर 35.47 प्रतिशत धीमा चलता पाया गया तथा मीटर पर कुल 88 दिन, 22 घण्टे, 11 मिनट एवं 58 सेकंड तक लो वोल्टेज होना स्थापित हुआ।
5. अतः उक्त तकनीकी आधार पर मा0 नियामक आयोग द्वारा निर्गत सुसंगत नियमन अनुरूप वादी का निर्धारण दिनांक 23.10.2023 से दिनांक 20.01.2024 (कुल 88 दिवस) से निर्मित कर कुल निर्धारण रू0 110272.00 का समायोजन वादी के बीजक में कर दिया गया तथा इसकी सूचना वादी को दे दी गयी।

अतः उपरोक्त तकनीकी तथ्यों के अनुसार वादी का समायोजन निर्धारण नियमसंगत एवं न्यायसंगत है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा न्यायहित में भिन्न–भिन्न तिथियां 15.04.2024, 25.04.2024, 06.05.2024, 09.05.2024 एंव 16.05.2024 नियत की गयी थी। उपरोक्त सभी सुनवाई तिथियों से परिवादी को मंच द्वारा दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया था, इसके बावजूद न तो परिवादी स्वंय उपस्थिति हुए न ही उनका कोई भी प्रतिनिधि, जिसे मंच द्वारा गंभीरता से लिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में मंच इस मत का है कि परिवादी उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इस परिस्थिति में वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता। अतः वाद वादी की अदम पैरवी में खारिज किये जोन योग्य है।

आदेश

प्रतुत वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

28/06/24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28.06.24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

28.06.24
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य